

को पेश हो

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

श्री भंडार सिंह
उपस्थित
नोटिस बनाम

No
Ganshup
2/4/2024

02/04/24

पत्रावली पेश हुई। वारी के
अज्ञान द्वारा No instruction किया गया।
अज्ञान वारी को न्यायालय में उप. होने
के लिये नोटिस जारी किया जाये।

पत्रावली दि. 26/06/24 के

पेश हो

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

26/06/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
वी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अब
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 10/9/24

10/9/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
वी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अब
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 23/9/24

सुखदेव/भंडार सिंह

23/9/24

CN#88/2012

पत्रावली पेश हुई। वारी व वारी के अधिवक्ता उप
नहीं। प्रतिकारी के अधिवक्ता उप. वारी व वारी के अधि-
को वाट-वाट जावाज लगाई गई। वारी व वारी के
अंतर्गत कोर्स उप रही। साथे 5 वर्ष डूने हैं वारी का
बाद अदम पैयवी अदम हाजरी में खातिज किया
जाता है पत्रावली रजब से कम होकर केवल शुभा

ही।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)